न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –115/2006 (आव.व.अधि)

राज्य सरकार जरिये इरफान कुरेशी, प्रवर्तन निरीक्षक, तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

मै0 रामकुमार–रामेश्वर दयाल सोनी, लाईसेंसी नं0 49, निवासी सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा । मृतक जर्ये कायम मुकाम–
श्री सुरेश कुमार सोनी आत्मज श्री रामकुमार सोनी जाति स्वर्णकार निवासी सीमल्या, तहसील दीगोद, जिला कोटा राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 27.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि इरफान कुरेशी प्रवर्तन निरीक्षक तहसील दीगोद ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पैरोकार रसद के माध्यम से इस आशय का पेश किया है कि मैसर्स रामकुंवार, रामेश्वर दयाल सोनी सीमलिया की एक शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई । मैसर्स रामकुंवार , रामेश्वर दयाल सोनी राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियमंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत खुदरा लाइसेन्स संख्या 49 का लाईसेन्सधारी है जिसका लाईसेन्स 31.3.98 तक विधिमान्य था । उक्त अप्रार्थी 31.3.98 के बाद केरोसीन का खरीद एवं वितरण करता रहा । उसके पास 695 लीटर केरोसीन पाया गया जो उक्त आदेश के खण्ड 3 की अवहेलना पर सीज किया गया । अतः सीज्ड केरोसीन को राजसात किया जावें तथा अंतरिम निस्तारण का आदेश फरमावें । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.5.99 से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था कि मैसर्स रामकुंवार रामेश्वरदयाल सोनी ने बिना लाइसेन्स नवीनीकरण कराये केरोसीन का विक्रय करते रहे जिससे बिना लाइसेन्स के राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 3 की अवहेलना कर अवैध व्यापार करने के कारण सीज्ड माल 695 लीटर केरोसीन मय चार लोहे के ड्रम राजसात किये गये है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अप्रार्थी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश कम–3 कोटा में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 30/2001 निर्णय दिनांक 14.3.2002 से इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.5.99 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया कि आदेश में वर्ष 1998–99 का लाईसेंस नवीनीकृत होना नहीं माना गया है जबकि 28.5.99

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

के बाद वर्ष 1998–99 के लिए लाइसेंस नवीनीकृत किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इन परिवर्तित परिस्थितियों में सम्पूर्ण कार्यवाही पर पुनः विचार कर आदेश पारित करें ।

3. प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड होने से पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी उपस्थित ।पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
4. पेरोकार सरकार द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–3 कोटा के द्वारा प्रदत्त आदेशों के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया ।
5. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13.1.98 के आधार पर दिनांक 16.1.98 को केवल मात्र 60 योम के लिए सप्लाईबन्द कर दी गयी थी और लाईसेंस का निलम्बन कर दिया था बाद में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ठ होकर दिनांक 29.7.98 को तुरन्त प्रभाव से लाईसेंस बहाल कर दिया गया था इसलिए 31.3.98 के पश्चात से अप्रार्थीगण का लाईसेंस पुनः जीवित हो गया । साथ ही श्रीमान का पूर्व आदेश दिनांक 28.5.99 निरस्त हो चुका है । चूंकि लाईसेंस बाद में नवीनीकरण हो जाने से अप्रार्थी के विरूद्व खाद्य निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.9.98 को की गई कार्यवाही में जब्त किया गया 695 लीटर नीला केरोसीन मय चार लोहे के ड्रमों पुनः अप्रार्थी को दिलाने की कृपा फरमावें ।
6. हमने माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीन कम–3 कोटा के निर्णय दिनांक 14.3.2002 का अवलोकन किया एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी द्वारा पूर्व में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 22.2.99 का अवलोकन किया । जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी का लाईसेंस खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.1.98 को निलम्बित कर दिया गया जो बाद में दिनांक 29.7.98 को पुनः बहाल कर दिया गया अर्थात 1998–99 की अवधि के लिए लाईसेंस पुनः नवीनीकरण कर दिया गया, ऐसी स्थिति में निलम्बन काल में अप्रार्थी के विरूद्व खाद्य निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.9.98 को केरोसीन जब्ती की कार्यवाही प्रभावशून्य मानते हुए जब्तसुदा 695 लीटर केरोसीन मय 4 लौहे के ड्रम अप्रार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है ।
7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, एवं आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी का दिनांक 10.9.98 को जब्तसुदा 695 लीटर केरोसीन मय चार लौहे के ड्रम अप्रार्थी को पुनः लौटाए जावें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।
8. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner